

शुभम पत्रावली पेशी में ली गयी मूल वाद में
आइए पेशी आदर हमरी खारिज रिफा
जा चुका है इसविष हस्तगत प्रार्थनापत्र
खारिज कर पत्रावली काविल कपल
की जाती है आदेश सुनाया गया है

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़